classmate
Date
Page

DATE: 14/08/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 06 (THE UNION EXECUTIVE: PRESIDENT)

LECTURE NO.- 37 (THIRTYSEVEN)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

भारतीय राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति

राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति न्यायिक शक्ति के अन्तर्गत आता है। इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति संघीय विधि के विरुद्ध दंडित या अन्य न्यायालय द्वारा दंडित या मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति की सजा को निम्नांकित प्रकार से क्षमा कर सकता है—

(i) लघुकरण—
सजा की प्रकृति को बदलना।
जैसे- मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।

(ii) परिहार—
सजा की मात्रा को बदलना।
जैसे- दो वर्ष के कठोर कारावास को एक वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित करना।

(iii) विराम—
विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना। जैसे- शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था की स्थिति के कारण।

Next—

Scanned with CamScanner

(iv) प्रविलंबन :-

किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। जैसे - फाँसी के संबंध में फाँसी को टालने के लिए।

(v) क्षमा —

पूर्णतः माफ कर देना। इसका तकनीकी अर्थ यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। हालाँकि राज्यपाल राज्य की विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संबंध में मृत्युदंड को निलंबित, दंडावधि को कम एवं दंड का स्वरूप बदल सकता है।

राष्ट्रपति की शक्ति प्रयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णय :-

भारत के मूल संविधान में राष्ट्रपति के शक्ति प्रयोग के सम्बंध में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह के बाध्यकारी स्वरूप का निश्चित प्रावधान नहीं था। लेकिन विवाद की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब उच्चतम न्यायालय ने यू०एन०राव मामले में कहा कि राष्ट्रपति वही करेंगे, जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल सलाह देगा। पुनः 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद 74(1) में 'सलाह' के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया।

44वें संविधान संशोधन, 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 74(1) में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार

Scanned with CamScanner

के लिए एक बार लौटा सकता है, परन्तु यदि मंत्रिपरिषद उसे पुनर्विचार के उपरांत चाहे कुछ संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास भेजती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति यह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा।

राष्ट्रपति से सम्बंधित अनुच्छेद :

अनुच्छेद संख्या	सम्बंधित विषय
52	भारत का राष्ट्रपति
53	राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति
54	राष्ट्रपति का चुनाव
55	राष्ट्रपति का चुनाव तरीका
56	राष्ट्रपति का कार्यकाल
57	राष्ट्रपति पुर्ननिर्वाचित होने योग्य
58	राष्ट्रपति के लिए अर्हताएँ
59	राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें
60	राष्ट्रपति द्वारा शपथ
61	राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया
62	राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय।
71	राष्ट्रपति का निर्वाचन सम्बंधी शंकाओं और विवादों की जाँच
72	राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति
74	राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का गठन
78	प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि मंत्रीपरिषद के निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को दे।
87	राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
123	अध्यादेश जारी करने की शक्ति
143	उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति।

Scanned with CamScanner